कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
Email ID–dfosiwalik@yahoo.co.in Fax No. 0132-2725382 पता–82 राजविहार कालोनी, पेपर मिल रोड, स0पुर
पत्रांकः– 76 /22–1 सहारनपुर, दिनांक 06/7/ 2020

गैर प्रकाष्ठ वन उपज की गोला धातु की लाटो की अल्पकालीन निविदा सूचना द्वारा ई–टैण्डर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग की (गैर प्रकाष्ठ वन उपज) गैर प्रकाष्ठ वन उपज गोला धातु की दो लाटें कमशः 11/2020–21 (बडकला रेंज) एवं 12/2020–21 (शाकुम्भरी रेंज) में दिनांक 30 जून 2021 तक गोला धातु स्केप चुगान हेतु इच्छुक केता/फर्मो से दिनांक–28.07.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक etender.up.nic.in पर निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं शर्ते वेबसाईट etender.up.nic.in पर दिनांक 09.07. 2020 से 28.07.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक उपलब्ध रहेगीं हैं, जहां से इसे डाउनलोड कर सकते है। उक्त लाटों के कय हेतु इच्छुक केता/फर्म दिनांक 28.07.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक etender.up.nic.in पर, ऑनलाईन अपनी निविदा दर/दरें अपलोड सकते है। केता/फर्म निविदा के साथ निर्धारित जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल में एवं अन्य उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्वंय प्रमाणित कर, दिनांक 28.07.2020 तक दोपहर 02.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफें में प्रभागीय कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में डालेगें। निविदाऐं उसी दिनांक को दोपहर 03.00 बजे टैण्डर समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को ऑनलाईन अपलोड की गई निविदायें ही खोली जायेगीं। अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। निविदा के संबंध में नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय, 82 राजविहार कालोनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर से प्राप्त की जा सकती है।

विवरण

क0 सं0	कार्यमद	लाट सं0 एवं वर्ष	रेंज का नाम	वन खण्ड/बीट	बन्धक धनराशि (रू0में)	कार्य अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य व 18% G.S.T.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोला धातु स्केप चुगान	11/20–21	बडकला	खैरोवाली पूर्वी, खैरोवाली पश्चिमी, चपडी	2,00,000.00	30.06.2021 तक	250+45=295	1. फायरिंग के दौरान गोलो के टुकडो को एकत्र करना वर्जित है। 2. गोलो के टुकडो को एकत्र करने में किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति का विभाग उत्तरदायी नही होगा। 3. टुकडो को खोदकर निकालना वर्जित है। 4. गोलो के टुकडो को एकत्र करने के लिए प्रत्येक आदमी के पास वन विभाग द्वारा सत्यापित आज्ञा पत्र होना अनिवार्य है।
2	गोला धातु स्केप चुगान	12/20–21	शाकुम्भरी	बडकला पूर्वी, बडकला पश्चिमी	50,000.00	30.06.2021 तक	250+45=295	

निविदा के साथ निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करने होगें :–

1– ऑनलाईन अपलोड की गई निविदा से सम्बन्धित मूल अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां, प्रत्येक लाट की अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे में देनी होगी। लिफाफें पर गोला धातु की लाट संख्या,जिसके लिए क्रय की निविदा दी जा रही है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

2– लाट संख्या 11/2020–21 के लिए रू0 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) तथा लाट सं0 12/2020–21 के लिए रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार) बन्धक धनराशि, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./सी.डी.आर. या पोस्ट ऑफिस की एन.एस.सी'के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक हो, मूल में।

3– रू0 100/–मूल्य के स्टाम्प पेपर पर टंकित शपथ पत्र मूल में। सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

4– निविदा के साथ हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।

5– व्यापार कर विभाग से GSTIN एवं आयकर विभाग से जारी पैन नंम्बर की छाया प्रति।

Compaq9/R.C./Gola Dhatu Nilaam

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिकी में सामान्य नियम लागू होगे।
2 निविदा निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित रहेगा।
3 किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एंव मान्य होगा।
4 यदि सेना द्वारा वन क्षेत्र में फायरिंग नही की जाती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5 निविदा स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निविदादाता को नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी एवं स्टाम्प शुल्क आदि जो भी कर, कार्य अवधि के समय लागू होगें, जमा करने होगें। किसी भी दशा मे जमा धनराशि वापस नही होगी। विकय मूल्य एवं जमानत के अतिरिक्त अन्य सभी कर संबंधित विभाग की दरो के आधार पर जमा करना होगा।
6 वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय के निर्देशानुसार 15 फरवरी से 15 जुलाई तक वन क्षेत्रों मे सेना द्वारा युद्धभ्यास प्रतिबन्धित रहेगा।
7 लाट में कार्य के समय (स्क्रेप) खोखे को उठाते समय यदि विस्फोट की कोई घटना होती है तो उसके लिए संबंधित केता/फर्म या उसके कारिन्दे की जिम्मेदारी होगी, विभाग उत्तरदायी नही होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

पत्रांक 76 /22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3 मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, मेरठ।
4 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
5 जिलाधिकारी, सहारनपुर।
6 समस्त प्रभागीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
7 जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
8 एन0आई0सी0क्लेक्ट्रेट, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक निविदा को जिला स्तरीय वेबसाइट http:://saharanpur.nic.in पर अपलोड करने की कृपा करें।
9 समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से वृहद प्रचार प्रसार करें।
10 प्रभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।